



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 572 राँची, शुक्रवार, 31 भाद्र, 1945 (श०)
22 सितम्बर, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगरीय प्रशासन निदेशालय

अधिसूचना

15 सितम्बर, 2023

संख्या-02/न.प्र.नि./DAY-NULM/SUSV/शिकायत निवारण/226/2018/4481-पथ विक्रेता
(अजीविका संरक्षण एवं विनिमयन) अधिनियम, 2014 (2014 के केन्द्रीय अधिनियम 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत निर्मित झारखण्ड पथ विक्रेता (अजीविका संरक्षण एवं विनिमयन) नियमावली, 2015 अधिसूचित है। नियमावली के अध्याय III के कंडिका 4 के प्रावधानों के तहत गठित होने वाले शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति के पूर्णकालिक सदस्य के पद पर श्री सतीश गिरि, पिता-धनलाल गिरि, पता-प्रियदर्शिनी एन्कलेभ, अपोजिट राजलक्ष्मी कम्पाउण्ड, नियर कोवरी रेस्टूरेन्ट, अशोक नगर, रोड न०-3, राँची झारखण्ड 834002 की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है।

2. श्री गिरि की नियुक्ति 05 वर्ष के लिए की जाती है ।
3. श्री सतीश गिरि को झारखण्ड पथ विक्रेता (अजीविका संरक्षण एवं विनिमयन) नियमावली, 2015 के अध्याय III के कंडिका 6(2) के प्रावधानों के तहत मासिक मानदेय समेकित रूप से 25000/- (पचीस हजार) रुपये मात्र तथा 7000/- (सात हजार) रुपये मात्र प्रति माह परिवाहन भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(विनय कुमार चौबे),

सरकार के सचिव ।
